

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त, 2002 (श्रावण 18, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रस्तोत्र

(१) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

(२) श्री शिवमोहन सिंह, सदस्य, का आवास एवं पर्यावरण मंत्री से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-१

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री आरिफ अकील, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 13 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) डॉ. डालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी के पास स्थित घरमकाटे पर अवैध शाब पकड़ी जाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), नरेन्द्र बिरथरे, चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, दतिया जिला शिक्षा कार्यालय में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(३) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के सिंगोड़ी-अमरबाड़ा मार्ग पर सवारियों को लूट कर वाहन चालक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(४) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, लवकेश सिंह, खेमराज पाटीदार, सदस्य, रीवा में पदस्थ एक चिकित्सक को कहं माह का बेतन नहीं दिये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(५) सर्वश्री जुगल किशोर, प्रभाकर सिंह, सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, सतना जिले के थाना सिंहपुर की पुलिस द्वारा ग्रामीणों को झूठे मुकदमें में फँसाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(६) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, पी.सी. शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, भोपाल स्थित प्रकाश तरण पुस्कर में प्रशासन की लापरवाही से एक किशोर की मृत्यु होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(७) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री रमाकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षाओं एवं विद्यालयों को मान्यता के संबंध में अपनाई जा रही मनमानी प्रक्रिया से छात्रों में असंतोष होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(८) श्री जयत कुमार मलेया, सदस्य, दमोह जिले में पंचायत के माध्यम से कराये जा रहे कायों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति न दिये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(९) सर्वश्री लालसिंह राणावत, नरेश खटीक, सदस्य, उज्जैन नगर स्थित बोराबाखला की निवासी महिला को बेदखल किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(१०) श्री नरेश सिंह पटेल, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री भगवत सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले की बरेली नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(११) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर में मादक पदार्थों की बिक्री से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(१२) श्री मुशीलाल, सदस्य, श्योपुर जिले के अनेक ग्रामों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को खाद्य सामग्री न मिलने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री राब देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के ग्राम बनहाई में डकैती पड़ने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, लालसिंह, मुन्नासिंह, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम जिरभार में एक परिवार के चार सदस्यों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्रीमती सुधा जेन एडव्होकेट, श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जल प्रदाय योजना हेतु घटिया पाइप की स्वीकृति से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) डॉ. आई.एम.पी. बर्मा, सदस्य, पंजाजिले के ग्राम राजापुर में काबिज भूमिधारियों की भूमि पर अवैध कब्जा होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि के पट्टे देने में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(18) श्री राबदेशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के अशोक नगर में एक युवक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) चौथरी राकेश सिंह, सदस्य, मुरैना में चिकित्सक की लापरवाही से एक बालिका की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) सर्वश्री संहंद अहमद, केवरानाथ शुक्ल, सदस्य, सतना नगर पालिका द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत अवैध निर्माण कार्य कराये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचौद नगर से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री मुशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले के बानमौर इंजीनियरिंग कालेज के एक छात्र की ट्रक से कुचल कर मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री नरेश सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के मण्डीदीप स्थित उद्योग द्वारा विक्रय कर की चोरी किये जाने की ओर बाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री नवकृष्ण पाटिल, सदस्य, मंदसौर जिले में डॉडाचूरा की खरीदी नहीं होने से कृषकों को आर्थिक हानि होने की ओर बाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) सर्वश्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, बाबूलाल गौर, प्रधाकर सिंह, सदस्य, प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता न दिये जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री देवीसिंह छीतू पटेल, डॉ. गोरीशकर शेजबार, सदस्य, बड़बानी जिले के किसानों के बीज कम दामों में खरीदे जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर स्थित सिनकॉम फॉर्मुलेशन इं.लि. कारखाने के श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्री अन्तर सिंह दरबार, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर स्थित सिनकॉम फॉर्मुलेशन इं.लि. कारखाने के श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के टोगरा ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, कमल पटेल, डॉ. आई.एम.पी. बर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के अयोध्या नगर में प्रदूषित जल का प्रदाय होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) सर्वश्री गोपाल भार्मन, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के मालथोन चेक पोस्ट बैरियर पर ट्रक ड्रायवरों से अवैध बसूली होने की ओर बाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल जिले के जंगलों में शीशम वृक्ष की अवैध कटाई होने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, देवास जिले की ग्राम पंचायत नाथुखेड़ा में जबाहर समृद्धि पूर्ण रोजगार योजना हेतु प्राप्त अनाज को मंडी में बेचे जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) श्री नरेश सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, सीहोर जिले में स्थित पूनी संयंत्र में कच्चे माल पर बाणिज्यिक कर लगाने से उत्पन्न स्थिति की ओर बाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर केन्द्रीय जेल में सुविधाओं के अभाव में कैदियों की मृत्यु होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री प्रेमचंद गुड्हू, सदस्य, प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के लिए फीस में बढ़िए करने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर तथा हरदा स्थित मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में अनावश्यक बारदानों का क्रय किये जाने की ओर राज्य मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) सर्वश्री बाबूलाल गौर, लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, भोपाल शहर स्थित बाल सम्प्रेषण गृह से अपराधी बालकों के फरार होने की ओर उप मुख्यमंत्री (समाज कल्याण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर शहर स्थित रामकृष्ण आश्रम में रहने वाले बच्चों की जानकारी उपलब्ध न होने की ओर उप मुख्यमंत्री (समाज कल्याण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) कुवर विजय शाह, सर्वश्री करण सिंह वर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले की जनपद पंचायत खालवा में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, कमल पटेल, सदस्य, खण्डवा जिले के हरसूद पुलिस की अभिरक्षा में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, सुनील उर्फ़ डॉ. सुनीलम्, बाबूलाल गौर, सदस्य, मालवांचल की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को बद कर उन्हें नियम विरुद्ध सुविधाएं दी जाने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, होशंगाबाद जिले के रैशलपुर स्थित बीड़ी कारखाने के मजदूरों का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(45) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के उदयपुरा कस्बे स्थित बीड़ी कारखाने के मजदूरों का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) श्री शेखर चौधरी, सदस्य, नरसिंहपुर-जबलपुर मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के चन्द्री थानान्तर्गत एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) सर्वश्री सुनील उर्फ़ डॉ. सुनीलम्, बाबूलाल गौर, सदस्य बैतूल जिले में राजीव गांधी मिशन द्वारा निर्मित बांधों के फूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(49) कुवर विजय शाह, श्री रामपाल सिंह, डॉ. बालसिंह बिसेन, सदस्य, खण्डवा जिले के हरसूद तहसील अंतर्गत ग्राम छनेरा में हाइस्कूल खोलने की मांग को लेकर आंदोलन करने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, नगरीय प्रशासन विभाग में पदस्थ अधीक्षण यंत्री द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(51) श्री मुश्तीलाल, सदस्य मुरेना जिले के वाणिज्यिक कर नाके पर एक ट्रक चालक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(52) श्री रामदास शिवहरे, सदस्य, खण्डवा जिले के बुरहानपुर व नेपानगर विधान सभा क्षेत्र में बनों की अवैध कटाई होने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) सर्वश्री बाबूलाल गौर, कमल पटेल, पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल में प्रदूषित पानी की सफ्लाई होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) श्री कंकर मुजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के नगरबारा बन परिक्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा समितियों द्वारा मजदूरों को भुगतान न किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के चंद्री थानान्तर्गत एक ट्रक को लूटे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) सर्वश्री लालसिंह, गणेश खटीक, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, ग्वालियर के मै. शुगर कम्पनी लिमिटेड, डबरा द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर आबास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) श्री अहिरबार पर्वतलाल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्र वृत्ति की राशि का गबन किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(58) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, भोपाल स्थित चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ रोगियों का हलाज नहीं होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(59) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री राजनारायण सिंह, पी.सी. शर्मा, सदस्य, दतिया कोतवाली पुलिस द्वारा अपराधियों को खुला संरक्षण दिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(60) श्री जगदीश मुबेल, सदस्य, धार जिले के ग्राम सुजीबयड़ी में तालाब निर्माण में मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(61) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, तेजसिंह सेंधव, मुशीलाल, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम देवपुर के पास पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(62) श्री वृन्दावन बड़गढ़ाया, सदस्य, पन्ना जिले के अनेक स्थानों पर कृषि नाका लगाकर अवैध वसूली किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(63) डॉ. ढालसिंह विसेन, सदस्य, सिवनी जिले में फसलों का बीमा न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(64) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, कमल पटेल, हरीशंकर जायसबाल, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम महरौली में एक युवती को निर्वस्त्र किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(65) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, पन्ना जिले के अनेक ग्रामों में बन एवं राजस्व भूमि पर हीरे की खदाने चलाई जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(66) सर्वश्री धरम् राय, गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के खुरद्द नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध भूमि का आवंटन किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(67) श्री कंकर मुजारे, डॉ. गौरीशंकर शोजबार, श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के ओरछा में पदस्थ मैनेजर द्वारा कर्मचारियों के साथ अपद्रव्यवहार किये जाने और पर्यटन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(68) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, हिम्मत कोठारी, श्रीमती सुधा जैन, एडव्होकेट, सदस्य, रत्नाम जिले के शिवगढ़ में एक आदिवासी युवती के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(69) श्री सोनेराम कुशबाह, सदस्य, मुरेना जिले के बामोर में एक महिला की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(70) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के नरखेड़ा जागीर निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(71) सर्वश्री मुजासिंह, मुशीलाल, रमाकांत तिवारी, सदस्य, पिण्ड जिले के आलमपुर कस्बे से एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(72) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, रसाल सिंह, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, उच्च शिक्षा विभाग में किये गये स्थानांतरण में अनियमितता होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शिवमोहन सिंह, सभापति, याचिका समिति का इकतीसवां, बत्तीसवां तथा तैतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री गनपत सिंह उड्के, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सप्तम् तथा अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जावे।"

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -
(क) ग्राम कोनी से गोरा के मध्य हटवाहा नाले पर स्टाप डेम-कम-काजबे बनाये जाने,
(ख) ग्राम कोठी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,
- (2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के सेमरकुण्ड के पास बारुआ नाले पर बांध बनाये जाने, तथा
(3) श्री जेहर सिंह मरावी, सदस्य, मंडला जिले के ग्राम मेहगांव-गिठार के बीच बुद्धनेर नदी पर पुल बनाये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा
मध्यप्रदेश में पंचायतराज एवं बिकेन्द्रीकरण संबंधी स्टेटस रिपोर्ट के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

निर्धारित

समय

30 मि.

8. अशासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 27 सन् 2001) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

9. अशासकीय संकल्प

40 मि.

- (1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि रीवा में संस्कृत भाषा की उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोला जाये।"

40 मि.

- (2) श्री खेमराज पाटीदार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में गाजर धास की बढ़ती पैदावार को रोकने हेतु शासन द्वारा कारगर प्रयास किया जाये।"

40 मि.

- (3) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के रजक समाज (धोबी) को कपड़ों पर प्रेस आदि कार्य के लिए विद्युत घरेलू दर पर दी जाये।"

भोपाल :
दिनांक 8 अगस्त, 2002

डॉ. ए.के. पयासी
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा।